स्त्रियों की आर्थिक आजादी और सामाजिक चुनौतिया

- डॉ. नमिता जायसवाल

शोध सार -

समाज के निरंतर विकास के साथ-साथ नए प्रश्नों और चुनौतियों का उभरना स्वाभाविक है। कुछ असमानताएं और प्रश्न पारंपरिक और सदियों पुराने हैं, जिनको व्यक्ति अपने संघर्ष और साझा प्रयासों से दूर करने की चेष्टा भी कर रहा है।लेकिन लिंग भेद, पितृसत्ता और स्त्री- उत्पीड़न जैसे प्रश्न आज भी जड़ जमाए हैं। सच कहा जाए तो यह समाज स्त्री और पुरुष दो इकाइयों के परस्पर सहयोग पर टिका है।

स्त्री अस्मिता की लड़ाई इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में तभी शुरू हो जाता है, जब मां के गर्भ में बालिका का भ्रूण आता है। समाज में लड़की अपनी लिंग -अस्मिता के कारण दूसरे दर्जे पर धकेली जाती है। नए संदर्भ में स्त्री की भागीदारी लाभकारी श्रम से जुड़ने लगी है, पर घरेलू श्रम का बंटवारा उसी संदर्भ में नहीं हुआ है। स्त्री के घरेलू श्रम को कभी तवज्जो नहीं दिया गया। पुरुष का अहं स्त्री के अर्थोपार्जन को आर्थिक दबावों के कारण स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन बदले में घरेलू श्रम में अपनी भागीदारी तय नहीं करता। तभी तो स्त्री की सजगता, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की तार्किक क्षमता, घर- बाहर बच्चे सभी दायित्वों को एक साथ निभा लेने का गुण आज उस पुरुष को ही बौना बना रहा है।

कामकाजी नौकरी करती नारी के हाथ में आजादी तो है, पर सुख नहीं। उसे बार-बार उसकी हदें याद कराई जाती है। स्वावलंबी होने के बावजूद अधिकांश घरों में आज भी वह अपने निजी और पारिवारिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। आर्थिक निर्भरता तो उसके लिए एक ऐसा झुनझुना है जिसे थोड़ी देर बजाकर स्वतंत्र होने का स्वप्न अवश्य देखा जा सकता है।वह घर और बाहर, दोनों जगह शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की शिकार होती है, पर उसकी चीख या मूक वेदना कभी मुखरित नहीं होती।

यह सच है कि आर्थिक निर्भरता स्त्री को वैयक्तिक स्तर पर सम्मान और प्रतिष्ठा अवश्य दिला सकती है, पर पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर वह कितना दिलाती होगी- यह संदेह का विषय है। स्त्री ने आर्थिक निर्भरता प्राप्त कर परावलंबी होने का बोझ उतार फेंका है, मगर सम्मानजनक जगह हासिल करना, अब भी चुनौती है। वह आज समाज की समस्त वर्जनाओ और नैतिकता के दोहरे मापदंडों को तोड़ चेतन और सजग होकर अपने भीतर छिपी अपार संभावनाओं को आकार दे रही है। आज जरूरत इस बात की है कि स्त्री की आर्थिक निर्भरता उसके स्वावलंबी विकास के साथ-साथ सामाजिक संबंधों के विकास का कारक भी बने।ऐसे में पुरुष वर्ग को भी अपने अहं दकियानूसी विचारों और 'होइहि सो जो पुरुष रचि राखा' की ओछी सोच से निजात पाकर सच्चे अर्थों में स्त्री का सहयोगी बनना होगा।

बीज शब्द - आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन, स्त्री अस्मिता, अर्थोपार्जन, समानता

भूमंडलीकरण के इस दौर में औरतें जितनी सबल दिखती हैं, उतनी ही वे हारी हुई भी दिखती है। बाजार के जाल में फंसी हुई। आज़ादी की कीमत चुकाती हुई। हाँफती हुई, लड़ती - भिड़ती हुई।

सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक घटनाक्रमों की रफ्तार से नहीं बदलती। वर्गों और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में बंटे समाज में स्त्री की हालत इसलिए भी खराब है कि वह इन विभेदों के साथ-साथ पितृसत्तात्मक समाज को भी झेल रही है। आजादी के बाद देश में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए, उसमें स्त्रियों की साझेदारी रही है। स्त्रियों ने घर और बाहर, दोनों मोर्चे पर दोहरी लड़ाई लड़ी।लेकिन, ये लड़ाइयां इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुई।जो कुछ नाम दर्ज हैं वे इसलिए कि इन नामों के बिना इतिहास लिखा नहीं जा सकता था।वर्जीनिया वुल्फ ने एक जगह लिखा है,' इतिहास में जो कुछ अनाम है, वह औरतों के नाम है।'

नई सदी के प्रारंभ में स्त्रियों के विकास तथा उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के क्षेत्र में कुछ कदम उठाये गये हैं। यदि स्त्रियों को नई सहस्राब्दि का परिवर्तनकारक प्रतिनिधि बनना है, तो उन्हें बदलते हुए समय की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा तथा इस दिशा में स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी होगी।उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने तथा पुरुषों के समान सक्षम बनाने की जरूरत है ताकि, वे धैर्यपूर्वक सभी चुनौतियों का मुकाबला कर सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज को भी प्रयास करना होगा।

समाज में स्त्रियों की स्थिति समाज की प्रगति का सूचक होती है। समानता के लिए महिलाओं के संघर्ष का इतिहास अतीत में महिलाओं की स्थिति का प्रमाण है। सामाजिक आर्थिक ढांचा, संस्कृति तथा सामाजिक मूल्य समाज में स्त्रियों की भूमिका तथा स्थिति का निर्धारण करते हैं।स्त्रियों को पेश आ रही अनेक समस्याओं को समझने तथा इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए स्त्रियों की स्थिति संबंधी ऐतिहासिक परिदृश्य की समीक्षा करना अनिवार्य है।

स्त्री के सामाजिक सरोकार महत्वपूर्ण न माने जाने के कारण, उसका श्रम भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इस तरह उसे अपने कार्यों की स्वीकृति के साथ उनकी पहचान और महत्व की एक अतिरिक्त लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह समाज के छोटे कामों से लेकर बड़े से बड़े काम तक फैला हुआ है। उसके घरेलू कामों को महत्व न देना भी इसी श्रेणी में आता है।

स्त्री द्वारा अपनी सामाजिकता को पहचाने जाने और अपने सामाजिक सरोकारों को महत्व दिए जाने के संघर्ष एकदम नए नहीं हैं। इसके तार ऋग्वेद में भी मिल जाएंगे, जहां एक विदुषी स्त्री रोमशां को यह कहना पड़ता है कि 'हे राजन ! मेरे कार्यो को देखो।' यानी मेरे सामाजिक कामों के महत्व को स्वीकार करो। समय की नयी करवटों ने शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जो कुछ जगह दी, उससे अपनी सामाजिकता को पहचानने और इसके लिए जूझने के प्रयत्न अधिक मुखर होते गए। अनेक छोटे-बड़े आंदोलनों से जुड़ने और कई बार आंदोलनों की कमान अपने हाथ में ले लेने के बावजूद यह समस्या आसान नहीं हो सकी। पर्यावरण, विस्थापन, शराबबंदी के आंदोलन हो या पानी जैसी समस्या, स्त्रियों के

सामाजिक सरोकार और उनकी सामाजिकता के प्रयासों ने उन्हें यह दिशा दी, जिससे वे रोकी गई स्त्री गतिशीलता के विरुद्ध जाते हुए, अपने व्यक्तिगत दुख से आगे निकलकर सामाजिक सुख-दुख का हिस्सा बन सकी और दिए गए दायरे की सीमा के बाहर आकर स्त्रीत्व की व्यापक और सामाजिक छवि के साथ खड़ी हो सकी।

स्त्रियों के प्रति अपराधों में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिससे उनकी सुरक्षा और उन्नति खतरे में पड़ गई है। स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा की समस्या का सर्वेक्षण करने के लिए किए गए विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि स्त्रियों के विरुद्ध अपराध की घटनाओं का मूल कारण अपराधी की सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में होता है।इसके अतिरिक्त, जीवन की बढ़ती हुई जटिलताएं, कुंठा, बढ़ते हुए उपभोक्तावाद और लोभ ने भी समस्या को जटिल बना दिया है।सामूहिक रूप से मानसिक रोगों से पीड़ित और अपराधी मानसिकता के इन व्यक्तियों के साथ क्या सुलूक किया जाए? सजा-ए- मौत, आजीवन कारावास या हमेशा की तरह कुछ दे- दिला कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना, उचित सबूत न मिलने पर उन्हें रिहा कर देना या फिर लड़की के आचार - व्यवहार पर तोहमत मढ़ देना। समाज पर प्रहार करती हुई ज्योति सिडाना अपने लेख 'दोहरी मानसिकता का समाज' में लिखती हैं- " क्यों आज इक्कीसवीं सदी में भी संविधान के मूल्यों- समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाए ? क्यों अनेक नारीवादी आंदोलन के बावजूद स्त्री- पुरुष की समानता का तर्क यथार्थ का रूप नहीं ले सका ? क्यों समाज बलात्कार होने पर लड़की का तिरस्कार करता है, लड़के का नहीं ?"1 आवश्यक है कि समाज इस गंभीर समस्या का निदान अपनी पहल से करें और स्वयं स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा और यातना का प्रतिकार करें।अगर ऐसा न हुआ तो आधी आबादी कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगी और सामाजिक विकास का दावा सदा खोखला रहने को अभिशप्त होगा।

अनेक देशों में, बड़ी संख्या में स्त्रियाँ राजनीतिक सत्ता में उच्च पदों पर पहुंच चुकी है। "हमारे देश की राजनीति में जो सहयोग और त्याग महिलाओं ने दिखाया है, उससे भारत का समस्त महिला समुदाय अपना मस्तक गर्वोन्नत किये हुए हैं। आज भी हमारा विश्वास है कि भारत की स्वतंत्रता तथा शासन के बनाने में महिलाएं पुरुष का हाथ बंटाने में सदा की भांति आगे बढ़ती रहेगी।" 2 वर्तमान में स्त्रियों के 'प्रेशर ग्रुप' को अत्यधिक प्रभाव और संसाधन प्राप्त है। स्त्रियां मीडिया के माध्यम से और अन्य तरीकों से अपनी आवाज उठा रही है। गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि और पर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख का अभाव स्थानिक समस्याएं हैं, जिनके लिए तत्काल उपचारित कार्यवाही करना आवश्यक है।ये सभी समस्याएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित है तथा एक दूसरे को प्रभावित करती है। आर्थिक अवसरों रोजगार की व्यवस्था तथा ऋण, भूस्वामित्व, शिक्षा तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्त्रियों को शामिल करके उन्हें शक्ति- संपन्न बनाने की आज बड़ी आवश्यकता है।

स्त्रियों को आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से समर्थ बनाने की आवश्यकता है, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और समाज में उनकी स्थिति ऊंची होगी। इस संदर्भ में नमिता सिंह लिखती है - "बिना राजनैतिक चेतना और सामाजिक दृष्टिकोण के व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं हो सकता।सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया समग्र रूप से ही संभव है।समाज बदलेगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा तो स्त्री भी आगे बढ़ेगी। स्त्री आगे बढ़ेगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा।" 3 वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभावों ने, विशेषतया सामाजिक क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों के संबंध में राज्य की भूमिका को कम कर दिया है। साथ ही, यह भी याद रखना है कि अनेक देशों में आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने स्त्रियों के लिए विभिन्न विकल्प खोल दिए हैं। स्त्रियों को शक्ति संपन्न बनाने से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में स्त्रियों में निर्धनता एक प्रमुख बाधक है इसलिए इक्कीसवीं शताब्दी की एक प्रमुख चुनौती के रूप में स्त्रियों में निर्धनता को विभिन्न कार्यनीतियों एवं नीतिगत उपायों से दूर करने की आवश्यकता है।

वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था से संचालित बाजार से गरीब लोग, सुविधाहीन लोग तथा स्त्रियाँ और अधिक निर्धन हो जाते हैं।आर्थिक एवं सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें आवश्यक कौशल और पूंजी प्रदान करने की जरूरत है ताकि, उन्हें सम्मानित जीवन जीने हेतु सक्षम बनाया जा सके। किंतु इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरुप कैरियर संबंधी संभावनाओं में लिंग आधारित अंतर स्पष्ट तथा परिलक्षित हुए हैं। इस संदर्भ में मृदुला सिन्हा लिखती है - "महिलाओं के अंदर उनकी प्रगति और विकास का सबसे बड़ा रोड़ा पर - निर्भरता का भाव रहा है। पीढियों से अपने बाहर के काम के लिए पुरुषों पर निर्भरता ने स्त्रियों में स्वयं अपने द्वारा काम किए जाने का विश्वास ही नहीं पनपने दिया था। इसलिए परिवार, समाज और सरकार द्वारा प्रोत्साहन और अवसर दिए जाने पर भी महिलाएं उनका उपयोग नहीं कर पा रही थी। उन्होंने स्वयं भी यही मान लिया था कि ये अवसर और क्षेत्र पुरुषों के लिए है।" 4 वास्तव में, वैश्वीकरण के इस नए युग में, आर्थिक एवं जीवन वृत्ति के संबंध में स्त्रियों का निर्धन होते जाना लगभग सार्वभौमिक घटना है। अभी भी पूर्णकालिक रोजगार में पारिवारिक जिम्मेदारियों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरुप अधिकतर स्त्रियां अंशकालिक रोजगार अपनाना चाहती हैं, लेकिन इनमें भी उन्हें प्पर्याप्त वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, अतः वह असुरक्षित और असंरक्षित रहती है। मृदुला सिन्हा आगे लिखती है -" परंपरागत हुनरों को अपनी दादी और मां से स्वयं सीखती अपनी बेटी और पोतियों को सिखाती महिलाएं घरेलू आवश्यकता के लायक ही उत्पादन करती रही हैं। यह सत्य है कि उनके द्वारा निर्मित बहुत काम सामान का विक्रय होता रहा है। उन्हें बाजार ही कहां मिलता है? आज आवश्यकता है उन्हें अधिक से अधिक संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिलाने की। "5 यद्पि, यत्र - तत्र कुछ स्त्रियां उच्च पदों पर विराजमान हैं,तथापि अधिकतर निर्णय लेनेवाले पदों पर स्त्रियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया हैं। अभी भी जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रमुख पदों पर पुरुषों का वर्चस्व है।

गरीबी का उन्मूलन करने और लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाने का सबसे शक्तिशाली साधन शिक्षा है।स्त्री - शिक्षा समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।अनेक समस्याएं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च शिशु मृत्यु दर, खराब पोषण स्तर, मुख्य रूप से स्त्रियों में पर्याप्त शिक्षा के अभाव के कारण ही है। प्रजनन - दर में कमी लाने के लिए स्त्री- शिक्षा एक सशक्त साधन हो सकती है। यह एक भयानक तथ्य है कि हमारी पचास प्रतिशत स्त्रियां अभी भी निरक्षर है। यह माना जाता है कि शिक्षा स्त्रियों में निर्णय लेने की क्षमता की वृद्धि करती है तथा उसकी आय क्षमता को भी सुदृढ़ बनाती है, जिसके कारण स्वाभाविक तौर पर संपूर्ण परिवार को और विशेषतया बच्चों को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त होती है। वैधानिक साक्षरता भी स्त्रियों को समर्थ बनाने के लिए एक प्रमुख रणनीति है। 'नारी जागरण की दिशा भूल' में कृष्णा शुक्ला लिखती हैं - "स्त्री समुदाय को समुचित शिक्षा का सहारा लेकर अधिकारों की उपयोगिता के लिए सक्षम तथा समाज के विकास के लिए सहयोगी बनाया जा सकता है। इस ओर पूर्ण जागरूकता के साथ प्रयत्न करने पर ही भारतीय स्त्री समाज की जागृति हो सकती है। शिक्षित महिलाओं के कर्तव्य की इति भी इसी में होगी।"6 शिक्षा के माध्यम से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से पुरुषों के साथ स्त्रियों के हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए समाज में अनेक अधिकारों से संबंधित वैधानिक जानकारी और साक्षरता में बढ़ोतरी हो। यह इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी और स्त्रियों को सक्षम बनायेगी कि उनके प्रति हिंसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। प्रायः महिलाएं इस बात से अनभिज्ञ है कि उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध है। साक्षरता और शिक्षा उनके अधिकारों के संबंध में उन्हें जागरूक बनायेगी।

पूरी दुनिया में कृषि क्षेत्र मैं ग्रामीण महिलाओं का अहम योगदान है।महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है।विकासशील देशों में इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण है। हमारे देश की सत्तर प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उनमें से अधिकांश कृषि कार्यों पर निर्भर है। यही वजह है कि ग्रामीण महिलाएं गृहकार्य तथा बच्चों को संभालने के साथ-साथ खेती के कामों में भी हाथ बंटाती है।भारत के कृषि क्षेत्र में कुल श्रम की साठ से अस्सी प्रतिशत हिस्सेदारी ग्रामीण महिलाओं की है। एक ओर जहां शहरी महिलाएं स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में संलग्न है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएं खेत - खलिहानों में काम करके देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान देती रही है। इसके बावजूद समाज में महिलाएं पुरुष से हेय समझी जाती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और भी अधिक उपेक्षित है। देश की कुल आबादी की लगभग सत्तर प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो घोर अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों से ग्रस्त है। देश के विकास में ग्रामीण भारत की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।" भारत के गांवों को बचाने के लिए खेती को बचाना आवश्यक है, और खेती बचाने के लिए महिलाओं को साधन संपन्न बनाना भी उतना ही आवश्यक है। सरकारी नियमों

के हिसाब से अभी किसान केवल वही माने जाते हैं, जिनके नाम से जमीन होती है, ऐसे में कितनी महिलाएं किसान के रूप में पहचानी जाने से वंचित रह जाती है।" 7 स्त्रियों पर गरीबी के प्रभाव को रोकने के लिए गरीब स्त्रियों की आय में वृद्धि हेतु तकनीकी और उद्यम कुशलता में सुधार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था जैसी कुछ नीतिगत पहल की गई है, जो इस दिशा में काफी सहायक रही है।स्त्रियों की गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 'एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम',' राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम',' जवाहर रोजगार योजना' और इंदिरा महिला योजना आदि जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं।

स्त्रियों की आर्थिक अधिकारिता के संसाधनों, रोजगार बाजार और व्यापार तक बेरोकटोक पहुंच होना जरूरी है। स्त्रियों के विकास हेतु संसाधनों के हस्तांतरण के लिए सभी केंद्रीय और राज्य योजनाओं में महिला संगठन योजना को शामिल किया गया है।बैंकों ने भी महिला उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में नियमों को उदार बनाया है। स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय ऋण निधि ने स्व- सहायता समूहों में महिलाओं हेतु कम लेनदेन लागत का प्रावधान करने के लिए भी प्रबंध किए हैं।

जैसे-जैसे वे दुर्ग- द्वार पर दस्तक दे रही है, वैसे-वैसे उन्हें गिरफ्त में लेने के औजार भी पैने किए जा रहे हैं।इस दोराहे पर कहां खड़ी है आज की स्त्री ?..... इसी मोड़ पर स्त्रियों को तनिक ठहर कर अपने अंदर भी झांकना होगा।अपने मन को टटोलना होगा। एकल परिवार की अवधारणा स्वीकार करके पुत्र जन्म की अभिलाषा और पुत्र मोह के कारण जाने -अनजाने पितृसत्तात्मक समाज को पोषण देने से परहेज करना जरूरी होगा।बेटी और बहू के अंदर को पाटना होगा। पति -पुरुष तो कठघरे में पहले से है ही, पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद प्रतिशोध वृत्ति से बचना होगा। अब समय आ गया है कि स्त्रियां विशेषतः ग्रामीण स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए सचेत और मुखर हो जाएं।स्त्रियों का मौन ही हर स्तर पर पुरुषों की प्रताड़ना का कारण है। यदि स्त्रियां मुखर होगी तो, कानून स्वतः भी संज्ञान ले सकता है। मुखर होने के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग भी किया जाना चाहिए। पर, पुरुषों की तर्ज पर दैहिक आजादी के लिए सोशल मीडिया के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूक स्त्रियों की ओर से ही आवाज उठनी चाहिए।यद्यपि सुप्रीम कोर्ट की मान्यता के बाद लिव-इन रिलेशनशिप को समाज ने महानगरों में स्वीकार तो कर लिया है, तथापि भारतीय समाज में समानता के सिद्धांत पर स्वस्थ विवाह परंपरा को आगे बढ़ना होगा। इसके लिए स्त्रियों की भूमिका पहले भी अहम रही थी और आज भी उतनी ही अहम है....। स्त्रियों ने यह जान लिया है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा,.....।

समाज में कुल मिलाकर स्त्रियों को प्राप्त निम्न दर्जे के बावजूद निस्संदेह स्त्रियों ने खेल और संगीत से लेकर प्रशासन और विज्ञान तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साक्षरता सिद्ध की है।इसके अलावा सामाजिक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में भी स्त्री शक्ति में तीव्र वृद्धि हुई है इस संदर्भ में डॉ. शिखा कौशिक अपने लेख 'स्त्री: बढ़ती आर्थिक आत्मनिर्भरता- बढ़ते खतरे' में लिखती है -" घरेलू

उत्तरदायित्वों के साथ-साथ आज की भारतीय नारी ने उन कार्यों तक भी अपनी पहुंच बनायीं है जो कभी केवल पुरुषों की बपौती माने जाते थे। महिलाओं ने बस कंडक्टर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ट्रेन चालक से लेकर पायलट तथा सामान्य शिक्षिका से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तथा मेरिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बखूबी दर्ज कराई है।"8 अधिकारों को लेकर बड़ी सजकता और समतावादी आंदोलनों का असर है कि आज स्त्री का जीवन नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। वे जल - स्थल - नभ यानी हर ओर दिखाई पड़ रही है। मगर विडंबना यह भी है कि सबलीकारण के साथ महिलाओं के सामने चुनौतियां भी बड़ी है।जैसे -जैसे वे दुर्ग- द्वार पर दस्तक दे रही हैं, वैसे-वैसे उन्हें गिरफ्त में लेने के औजार भी पैने किए जा रहे हैं। इस दोराहे पर कहां खड़ी है आज की स्त्री?

स्त्रियों ने यह जान लिया है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा, जिसके बिना समाज में उनकी स्थिति में उत्थान नहीं हो सकता।तथापि, समाज में स्त्रियों की संख्या की तुलना में उनका योगदान बहुत कम रहा है। समग्र विकास प्रयासों में महिलाओं को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने और योग्य बनाने के लिए समाज में व्यापक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।अपने लेख ' हिंसा की जड़े' में उमा भट्ट लिखती हैं - "पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि स्त्री - पुरुष में जो विभेद पैदा किया गया है, उसे खत्म किया जाए। स्त्री - पुरुष का स्वाभाविक विभेद प्राकृतिक है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से स्त्री - पुरुष में जो विभेद पैदा किया जाता है, उसके लिए लैंगिक - असमानता शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह भेद पितृसत्ता के कारण है। इस सामाजिक भेद को खत्म करके ही स्त्री को बराबरी का दर्जा मिल सकता है।"9

यदि इक्कीसवीं सदी को 'महिलाओं की सदी' के रूप में मनाना है, तो हमें स्त्री वर्ग को गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, यौन - अत्याचार, मानवाधिकार हनन एवं कन्या शिशु हत्या जैसी चुनौतियों से मुक्त करना होगा। गरीबी, विशेष रूप से महिलाओं की गरीबी का शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता आदि के समग्र विकास से नजदीकी रिश्ता है। आर्थिक नीतियां बनाते समय लिंग - परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समस्याएं और दृष्टिकोण पृष्ठभूमि में सिमट कर न रह जाए।हमें शासन, खासकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुगम बनाना होगा। वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके परिणामस्वरुप उनका अकिंचनीकरण और दरिद्रण न हो, महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के अध्ययन की अत्यावश्यकता है।

वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने हेतु हमें सामाजिक सुरक्षा - तंत्र के विस्तार और फैलाव में सुधार करना होगा। विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या दर में सुधार और महिला भागीदारी वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रोत्साहन सुनिश्चित करना एक और बड़ी चुनौती है। महिलाओं और बच्चों का पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना, शिशु और मां की मृत्यु दरों पर नियंत्रण करना

तथा समेकित बाल विकास सेवाओं को कार्यान्वित करना अभी भी चुनौती है। जब तक बालिकाओं को पर्याप्त पोषण, स्तरीय शिक्षा, दुव्यर्वहार से संरक्षण प्रदान करके उसकी सर्वांगीण स्थिति में सुधार नहीं किया जाता, तब तक महिला विकास के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती। "समर्थ और स्वस्थ जननी, देश, समाज और परिवार की रीढ़ होती है।इसलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार ही नहीं, परिवारजनों की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।सरकारी योजनाओं के साथ ही समाज और परिवार की मानसिकता और व्यवहार में आए सकारात्मक और समझ भारे बदलाव से ही देश के हर हिस्से, हर तबके की महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व का हक मिल सकता है।जो उनके सबलीकरण में भी अहम भागीदारी निभा सकता है।"10

हिंसा की शिकार स्त्रियों के लिए सहायक संरचनाओं में सुधार तथा विस्तार करना होगा तथा स्त्रियों के प्रति हिंसा में कमी करने हेतु हमें नीति निर्माताओं, न्यायपालिका और क्रियान्वयन तंत्र को संवेदनशील बनाना होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक स्त्रियां राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनती, तब तक उनकी अधिकारिता और सर्वांगीण विकास का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए निर्णय लेने तथा शासन करने में उनकी भागीदारी बढ़ाने की महती आवश्यकता है, ताकि उन्हें आर्थिक नीति और नियोजन में अपने योगदान का लाभ मिल सके। शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, कौशल विकास, आर्थिक लाभों हेतु अनुकूल क्षेत्रों में प्रशिक्षण आदि नई शताब्दी में प्राथमिक लक्ष्य होने चाहिए। स्त्रियों की हैसियत और स्थिति में समग्र सुधार लाने तथा उनका भविष्य उज्जवल तथा गौरवपूर्ण बनाने हेतु नीति निर्माताओं, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, महिला संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों तथा संपूर्ण जनता की ओर से इच्छा - शक्ति, दृढ़- संकल्प तथा कठिन श्रम की आवश्यकता है। स्त्री को अधिकारिता प्रदान करने के लिए हमें नीतिगत उपायों को ठोस उपलब्धियों में बदलवाना है, ताकि इक्कीसवीं शताब्दी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में हम समर्थ हो सके।

संदर्भ सूची :

1. सिडाना, ज्योति, 'दोहरी मानसिकता का समाज', जनसत्ता, 2 सितंबर 2016
2. गर्ग, डॉ संजय, (संपा), स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2014, पृष्ठ .120
3. सिंह, नमिता, स्त्री प्रश्न, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण -2017, पृष्ठ 188 .
4. सिन्हा,मृदुला, मात्र देह नहीं है औरत, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2016 पृष्ठ.145
5. वही, पृष्ठ .140

6. गर्ग, डॉ संजय (संपा), स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण - 2014, पृष्ठ 110.
7. शंकर, रवि,' ग्रामीण महिलाओं की दशा ' जनसत्ता, 24 फरवरी 2019 .
8. रानी, रेखा, स्त्री दुनिया समसामयिक सरोकार, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण -2019, पृष्ठ 41 .
9. भट्ट, उमा,' हिंसा की जड़े', जनसत्ता, 5 मार्च 2017.
10. शर्मा, मोनिका, 'प्रजनन का अधिकार ',जनसत्ता, 26 फरवरी 2017.

डॉ. नमिता जायसवाल
सहायक प्रध्यापिका, बेथुन महाविद्यालय, हिंदी विभाग, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
मो.6290818929, ईमेल: namita2209@rediffmail.com